राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा,
निर्वाचन सदन प्लाट नं0 2, सैक्टर 17, पंचकूला।

फैक्स संदेश चुनाव सम्बन्धी तिथिबद्ध

क्रमांकः रा0नि0आ0/1-लेखा/2010/172-192 दिनांक 29/04/2010

सेवा में
हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)

विषयः- पंचायती राज संस्थाओं एंव स्थानीय निकायों के आम चुनाव, 2010 के दौरान टैन्टेज किराये पर लेने बारे दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. इस संबंध में लिखा जाता है कि आयोग के पत्र क्रमांक रा0नि0आ0/3-लेखा/2010/408-428, दिनांक 29.03.2010 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के आम चुनावों के खर्चे व अन्य महत्वपूर्ण हिदायतों को संकलित पीली पुस्तिका भेजी गई है, ताकि खर्चो/ चुनाव से सम्बन्धित कार्यो को सही ढंग से संचालित किया जा सके।

3. आयोग द्वारा जारी पीली पुस्तिका के पृष्ठ नं0 3-4 पर स्पष्ट किया गया है कि चुनाव के दौरान रिहर्सल के दौरान नियुक्त स्टाफ को, जहां तक संभव हो सके, ब्लाक/नगरपालिका स्तर पर सरकारी बिल्डिंग जैसे कम्यूनिटी हाल, पंचायत भवन, स्कूल/कालेज परिसर, अनाज-मण्डी शैड आदि में ही रिहर्सल करवाई जाए, ताकि टैंटेज का खर्चा बच सके। अगर ऐसा करना सम्भव नहीं है, तो टेंन्टेज इत्यादि की व्यवस्था की जा सकती है। रिहर्सल, सामान वितरण, सामान वापसी, मतगणना रिहर्सल, तथा मतगणना के लिये ही टैंटेज की व्यवस्था की जाए।

4. टैंटेज का सामान उपायुक्त द्वारा निर्धारित दरों पर ही लिया जाए। केवल न्यूनतम दर वाले सामान का उपयोग किया जाए।

5. प्रत्येक खण्ड/नगरपालिका/नगरपरिषद् आदि के कुल पोलिंग बूथों की संख्या को 5 से गुणा करके उसमें 5 प्रतिशत रिजर्व स्टाफ तथा 15 उपायुक्त/ खण्ड कार्यालय के स्टाफ को जोड़ कर कुर्सियों की गणना की जाए तथा केवल साधारण कुर्सियां ही किराये पर ली जाएं। एक कुर्सी के लिये 8 वर्गफुट स्थान के हिसाब से कुल टैंट के एरिया की गणना की जाए। 15X15 का एक टैंट 225 वर्गफुट एरिया कवर करता है अतः इसी हिसाब से टैंट लगवाए जाएं।

6.. मेजों की गणना कार्य की आवश्यकता के अनुसार की जाए।

7. लाईट प्रबंध केवल मतदान उपरान्त सामान वापसी तथा मतगणना वाले दिन के लिये ही आवश्यक होता है। अतः तदानुसार ही लाईट/जनरेटर आदि की व्यवस्था की जाए। यदि कार्यालय में देर रात तक कार्य करना आवश्यक हो और उचित प्रकाश व्यवस्था न हो तो केवल गैस किराये पर ली जाएं। केवल न्यूनतम आवश्यकता अनुसार ही प्रबंध किया जाए।

8. कृपया उपरोक्त हिदातयों के अनुसार चुनावों के खर्चो की गणना अलग-अलग आईटम्म वाईज तैयार करके प्रत्येक आईटम्म वाईज राशि की मांग आयोग को तुरन्त भेजी जाए, ताकि बजट का आंबटन किया जा सके।

वरिष्ट लेखा अधिकारी,
राज्य निव्राचन आयोग, हरियाणा
पचंकूला

प्रति :- अधीक्षक, पंचायत
अधीक्षक, नगरपालिका